सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/387** दायरा दिनांक **28.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1 रामनिवास पुत्र स्व. हणमान जाति जाट निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. प्रेमाराम पुत्र स्व. हणमान 2. मुगनी पत्नि स्व. हणमान 3. कमलादेवी पत्नि रामदेवाराम 4. अमिता पत्नि राजेन्द्र डारा 5. शंकरलाल पुत्र किशनलाल 6. आसी पत्नि इमरताराम 7. शांति पत्नि जीवनाराम 8. मांगीलाल पुत्र भैराराम 9. नारायणराम पुत्र भैराराम 10. हुक्माराम पुत्र भैराराम 11. भौलीदेवी पत्नि भैराराम 12. रामकरण पुत्र बालाराम 13. झूमर पुत्र बालाराम 14. रामपाल पुत्र काना 15. गोवर्धन पुत्र काना 16. रामू पुत्र काना 17. छोटू पुत्र काना 18. बस्तीराम पुत्र मूलाराम 19. गीता पुत्री मूलाराम 20. गंगा पुत्री मूलाराम 21. चेनी पत्नि मूलाराम 22. देवाराम पुत्र लिछमणराम 23. चेनाराम पुत्र लिछमणराम 24. भंवरीदेवी पत्नि लिछमणराम 25. धन्नी पुत्री लिछमणराम 26. मन्जू पुत्री लिछमणराम समस्त जाति जाट निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 27. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन उपस्थित ।
2. प्रतिवादी सं0 01,ता 27 अनूपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **06.02.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 26 की खातेदारी सुदा खेत मौजा खाटू–खुर्द मे ख. न. 1394 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

ख. न. 795 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, व मौजा किशनपुरा पटवार हल्का खाटू–खुर्द में अवस्थित ख. न. 173 रकबा 09.1500 हैक्टर, ख. न. 250 रकबा 0.1700 हैक्टर, ख. न. 251 रकबा 01.9100 हैक्टर, ख. न. 253 रकबा 02.1200 हैक्टर है।जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 26 का खेत हक हिस्सा संयुक्त सहखातेदारी सुंदा दर्ज है।उक्त खसरा नम्बरान की खतौनी नकल संलग्न पेश है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 26 का संयुक्त सह खातेदारी सुदा खेत मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394, 795 व किशनपुरा में ख. न. 173, 250, 251, 253, खतौनी में दर्जसुदा है।जिसमें प्रत्येक सहखातेदार अर्थात वादी व प्रतिवादी 01 ता 26 का अलग–अलग हिस्सा खातेदारी में दर्ज है।जिसमें उक्त खसरान भूमि में वादी व प्रतिवादी 01 ता 26 का प्रत्येक सहखातेदार अर्थात वादी व प्रतिवादी 01 ता 26 का हिस्सा तय व राजस्व रिकार्ड में अंकित सुदा है तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी 01 ता 26 सहखातेदार ने करीब 15 वर्ष पुर्व नीवें कायम कर मौखिक व भैतिक रूप से अलग–अलग बन्ट बन्टवारा कर कायम है, लेकिन राजस्व रिकार्ड मे उक्त खसरान सहखातेदारी में चले आ रहे है।जिसका विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस राजस्व रिकार्ड में अभी तक नही हुआ है।जिस कारण वादी को यह वाद पत्र बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विधिवत बन्टवारा हेतु लाना लाजमी हुआ है।

वादग्रस्त खसरान मे वादी का हिस्सा खातेदारी में दर्जसुदा है तथा वादी अपने हिस्से में मौखिक रूप से बन्टवारा होने से अपने हिस्से की सीवें नीवे कायम कर भोग–उपभोग निरंतर निर्बाध रूप से करीवन 15 वर्षो से करता आ रहा है।जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी 01 ता 02 का हिस्सा वन्ट वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 795 मौजा खाटू–खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए हिस्सा रकबा 08 बीघा व खसरा नम्बर 1394 मौजा खाटू–खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क बी हिस्सा रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा बन्टवारा में आया होने से वादी व प्रतिवादी 01 ता 02 के कब्जे काश्त मे निरन्तर चला आ रहा है।तथा प्रतिवादी सख्या 03 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा 02 बिस्वा हिस्सा मार्क सी, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे आयी है। तथा प्रतिवादी सख्या 04 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क डी, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे आयी है। तथा प्रतिवादी सख्या 05 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बिस्वा हिस्सा मार्क ई, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे आयी है। तथा प्रतिवादी सख्या 06 व 07 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क एफ, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे आयी है। तथा शेष खातेदार प्रतिवादी सख्या 08 ता 26 के वर्तमान हिस्सानुसार बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 20 बीघा 02 बिस्वा व 795 में से 06 बीघा 10 बिस्वा तथा मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, बन्ट मे आयी है।उक्त मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाना है।क्यौकि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त खसरो मे बन्ट नही आया है।उक्त बन्टवारा सम्बन्धित मार्क दर्शित सल्गन नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अगं है, उक्त नजरी नक्शा में दर्शित वादी की भूमि पर वादी काबिज काश्त होकर अपनी स्वामित्व खातेदारी सुदा भूमि का भोग–उपभोग निरन्तर निर्बाघ रूप से कर रहा है।इस प्रकार उक्त मौखिक रूप से हुए बन्टवारे अनूसार काबिज है।जिसका विधिवत बन्टवारा किया जाना न्याय संगत है।

वादी अपने हक हिस्सा खातेदारीसुदा मे काबिज काश्त है तथा मौके पर सीवे नीचे कायम कर अपने हिस्से का भोग उपभोग बरसो से करता आ रहा है।लेकिन प्रतिवादीगण 02 दिन पहले वादी के पास आये वादी को कहा कि हम रास्ते की तरफ की भूमि की प्लॉटिंग करेगे जिसके लिए तुम अपने कब्जे से अपना कब्जा हटा लो, अन्यथा हम किसी भूमाफिया को बैचाण कर देगे जो तुम्हे जबरन बेदखल कर देगा।वादी अपने हिस्से मे काबिज काश्त है।लेकिन राजस्व रिकार्ड मे अलग–अलग हिस्सा का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा नही हो रखा है, जिससे उक्त खसरे की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार अर्थात वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा होने से तथा खातेदारी मे संयुक्त नाम होने से प्रतिवादीगण जबरन वादी को उसके हिस्से बेदखल कर अन्य भू–माफिया को प्लॉटिंग कर बैचाण करना चाहते है।तथा कीमती भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

को हडपना चाहते है।जबकि वादी व प्रतिवादीगण को विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस नही होने से पुर्व बैचाण नही करना चाहिए तथा बैचाण करना विधि विरूद्ध है।ताकि मुकदमेबाजी नही बढे और ना ही विवाद पैदा हो इसलिए उक्त खसरान भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस करवाया जाना लाजमी होने से यह दावा पत्र पेश है।

उक्तवर्णित वादग्रस्त खसरो मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 26 का हिस्सा प्रत्येक का खातेदारी मे दर्ज सुदा है।जिसमे वादी का नजरी नक्शा दर्शित हिस्सा हक खातेदारीसुदा स्वामित्वसुदा, व कब्जा काश्त है।इसलिए वादी की उक्त हिस्सा भूमि का विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से किये जाने मे किसी प्रकार की कानूनी बाधा नही है।तथा उक्त विधिवत बन्टवारा करवाने का वादी कानूनी रूप से अधिकार है।तथा उक्त खसरान भूमि सहखातेदारी की होने से प्रत्येक खसरान भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार अर्थात वादी व प्रतिवादीगण का हक अधिकार होने से विधिवत बन्टवारा से पूर्व प्रतिवादीगण बैचाण हस्तांतरण व प्लॉटिंग करने के कतई अधिकारी नही है।और उक्त खसरा भूमि की वर्तमान मे कीमत अधिक बढ जाने से प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी को अपने हिस्से से बेदखल कर रास्ते के नजदीक की भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिग कर वादी को अजहद नुक्शान पहुँचाने पर आमादा है।इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध किया जाना भी न्यायहित में है।

प्रार्थना वादी है

कि घोषणा खातेदारी बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमावे कि वादी व प्रतिवादी 01 ता 02 का हिस्सा बन्ट वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 795 मौजा खाटू–खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए. हिस्सा रकबा 08 बीघा व खसरा नम्बर 1394 मौजा खाटू–खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क बी हिस्सा रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा बन्टवारा में हो। तथा प्रतिवादी सख्या 03 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा 02 बिस्वा हिस्सा मार्क सी, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे हो। तथा प्रतिवादी सख्या 04 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क डी, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे हो। तथा प्रतिवादी सख्या 05 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बिस्वा हिस्सा मार्क ई, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे हो। तथा प्रतिवादी सख्या 06 व 07 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क एफ, मे अकित अनुसार बन्टवारे मे हो। तथा शेष खातेदार प्रतिवादी सख्या 08 ता 26 के वर्तमान हिस्सानुसार बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 20 बीघा 02 बिस्वा व 795 में से 06 बीघा 10 बिस्वा तथा मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, बन्ट मे हो ।उक्त मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाना है।क्यौकि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त खसरो मे बन्ट नही है।उक्तानुसार विधिवत बन्टवारा किया जाकर उक्त अनुरूप बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा किया जाकर उसी अनुरूप अमल दरामदगी किया जावे और स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करावे कि वादी के वादग्रस्त खसरान मे से नजरी नक्शा दर्शित भूमि खातेदारी सुदा हक हिस्सा बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से होने पर वादी को प्राप्त मौके भौतिक हिस्से मे प्रतिवादीगण हस्तक्षेप व्यवधान नही करे और न ही हस्तातंरण बैचाण करे तथा दौराने दावा वाद किये गये समस्त बैचाण अतिकमण को निरस्त व खारिज फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 10.01.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 अनुपस्थित व वादी रामनिवास का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश हुआ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:—आदेश—:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी 01 ता 02 का हिस्सा बन्ट वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 795 मौजा खाटू—खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए हिस्सा रकबा 08 बीघा व खसरा नम्बर 1394 मौजा खाटू—खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क बी हिस्सा रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 03 के बन्ट में मौजा खाटू—खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा 02 बिस्वा हिस्सा मार्क सी, मे अकित अनुसार तथा प्रतिवादी सख्या 04 के बन्ट में मौजा खाटू—खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क डी, मे अकित अनुसार । तथा प्रतिवादी सख्या 05 के बन्ट में मौजा खाटू—खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बिस्वा हिस्सा मार्क ई, मे अकित अनुसार । तथा प्रतिवादी सख्या 06 व 07 के बन्ट में मौजा खाटू—खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क एफ, मे अकित अनुसार। तथा शेष खातेदार प्रतिवादी सख्या 08 ता 26 के वर्तमान हिस्सानुसार बन्ट में मौजा खाटू—खुर्द के ख. न. 1394 मे से 20 बीघा 02 बिस्वा व 795 में से 06 बीघा 10 बिस्वा तथा मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, घोषित किया जाकर मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है। उपरोक्त वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस किया जाता है। तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा वाद के संलग्न वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **06.02.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायरा दिनांक **28.12.2018**

राजस्व वाद संख्याः **2018/387**

वादी		प्रतिवादीगण
1 रामनिवास पुत्र स्व. हणमान जाति जाट निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. प्रेमाराम पुत्र स्व. हणमान 2. मुगनी पत्नि स्व. हणमान 3. कमलादेवी पत्नि रामदेवाराम 4. अमिता पत्नि राजेन्द्र डारा 5. शंकरलाल पुत्र किशनलाल 6. आसी पत्नि इमरताराम 7. शांति पत्नि जीवनाराम 8. मांगीलाल पुत्र भैराराम 9. नारायणराम पुत्र भैराराम 10. हुक्माराम पुत्र भैराराम 11. भौलीदेवी पत्नि भैराराम 12. रामकरण पुत्र बालाराम 13. झूमर पुत्र बालाराम 14. रामपाल पुत्र काना 15. गोवर्धन पुत्र काना 16. रामू पुत्र काना 17. छोटू पुत्र काना 18. बस्तीराम पुत्र मूलाराम 19. गीता पुत्री मूलाराम 20. गंगा पुत्री मूलाराम 21. चेनी पत्नि मूलाराम 22. देवाराम पुत्र लिछमणराम 23. चेनाराम पुत्र लिछमणराम 24. भंवरीदेवी पत्नि लिछमणराम 25. धन्नी पुत्री लिछमणराम 26. मन्जू पुत्री लिछमणराम समस्त जाति जाट निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 27. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 06.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,ईस्लामुदीन वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01,ता 27 अनुपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी 01 ता 02 का हिस्सा बन्ट वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 795 मौजा खाटू–खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए हिस्सा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

रकबा 08 बीघा व खसरा नम्बर 1394 मौजा खाटू–खुर्द मे से नजरी नक्शा दर्शित मार्क बी हिस्सा रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 03 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा 02 बिस्वा हिस्सा मार्क सी. मे अकित अनुसार तथा प्रतिवादी सख्या 04 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क डी. मे अकित अनुसार । तथा प्रतिवादी सख्या 05 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बिस्वा हिस्सा मार्क ई. मे अकित अनुसार । तथा प्रतिवादी सख्या 06 व 07 के बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 01 बीघा हिस्सा मार्क एफ. मे अकित अनुसार। तथा शेष खातेदार प्रतिवादी सख्या 08 ता 26 के वर्तमान हिस्सानुसार बन्ट में मौजा खाटू–खुर्द के ख. न. 1394 मे से 20 बीघा 02 बिस्वा व 795 में से 06 बीघा 10 बिस्वा तथा मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, घोषित किया जाकर मौजा किशनपुरा कें ख. न. 173, 250, 251, 253, मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है। उपरोक्त वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा बाई मिटस एण्ड वाउन्डस किया जाता है। तथा इसी अनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा वाद के संलग्न वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. वावत......................–..................
..खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.02..2019 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थमजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–387–2018 / रीडर / 2019 / 175 दिनांक 15/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी		प्रतिवादीगण
1 रामनिवास पुत्र स्व. हणमान जाति जाट निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. प्रेमाराम पुत्र स्व. हणमान वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner